पुलिस थाना-सिन्धोरा,कमिश्नरेट वाराणसी

उत्तर प्रदेश

सी.यू.जी. नं.-7839857013 ई-मेल- so-sindhaura.va@up.gov.in

प्रेस नोट

गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्त व लूट के 66,000/ रुपये बरामद तथा लूट में प्रयुक्त 02 अदद सीज शुदा मोटरसाईकिल बजाज पल्सर व हीरो स्प्लेण्डर सम्बन्धित मु0अ0सं0 0037/2023 धारा 392/411 भादवि थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी

दिनांक 02.03.2023 को श्रीमान पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी महोदय एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त महोदय, गोमती-जोन कमिश्नरेट-वाराणसी के निर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्र में हो रही लूट/छिनैती की घटनोँ की रोकथमा तथा इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटे गये माल की बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही के क्रम में एसएचओ श्री प्रेम नारायण विश्वकर्मा व एस.ओ.जी. तथा एस.ओ.जी. / सर्विलान्स टीम के नेतृत्व में विवेचक उ0नि0 बरदानीलाल, उ0नि0 रणजीत सिंह, हे0का0 ज्ञानेश्वरमणि त्रिपाठी, का0 बबलू गिरी के मु0अ0स0 037/2023 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित माल मुल्जिमान की पतारसी सुरागरसी रवाना होकर ग्राम क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि उक्त मुकदमे में लूट की घटना को अंजाम अंजाम देने वाले अभियुक्तगण ग्राम करेमुआ के पास एक नवनिर्मित मकान के पास एकान्त मे एकत्र हुए हैं और लूटे हुए रुपये को आपस मे बांट रहे हैं। यदि जल्दी करें तो पकडे जा सकते हैं। मुखबीर की इस सूचना पर त्वरित विधिनुसार कार्यवाही करते हुए पहले से उक्त मुकदमे मे पतारसी सुरागरसी में मामूर उ0नि0 अजीत कुमार मिश्रा ,उ0नि0 अमित कुमार यादव ,उ0नि0 आशीष श्रीवास्तव ,का0 विशाल कुमार को हस्बुल तलब कर सभी अधि0/कर्म0गण बाउम्मीद बरामदगी व गिरफ्तारी मुखबीर के बताये गये स्थान की ओर आगे बढ़े। उ0नि0 श्री बरदानी लाल कुशलतापूर्वक अपनी पुलिस फोर्स को दो भागो मे बांट कर नवनिर्मित मकान के दोनो तरफ से सीखे हुए तरीके से पहुचे और छिपकर बैठे हुए 04 व्यक्तियो को तस्दीक होने पर कि उक्त में लूट की घटना को अंजाम देने में यही व्यक्ति थे, एकबारगी दविश दी गयी तो सभी भागने का प्रयास करने लगे कि हिकमत अमली से घेर-घार कर 03 व्यक्तियो को पकड लिया गया तथा एक व्यक्ति नावक्त समय का फायदा उठाकर भाग गया। पकड़े हुए अभियुक्तों से पूछताछ करते हुए तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम राणा प्रताप गौड उर्फ शुभम पुत्र विनोद गौंड निवासी ग्राम कछिया थाना सिंधोरा वाराणसी उम्र लगभग 22 वर्ष बताया तथा उससे 30,000 रुपये नगद

लूट का बरामद हुआ और पूछने पर बताया कि मेरे गाँव के रविन्द्र प्रसाद वर्मा तथा उसकी पत्नी झंझौर बाजार मे ग्राहक सेवा केन्द्र चलाते है जो प्रतिदिन शाम को दोनो लोग बाइक से लौटते हैं और साथ मे बैग में सारा रुपया रखे रहते हैं। रुपये लूटने की नियत से मैने अपने साथी समीर उर्फ अनुज कुमार, शिवम नाविक, विकाश कुमार हम चारो लोग मिल कर घटना के दिन रविन्द्र प्रसाद वर्मा व उसकी पत्नी जब शाम के समय ग्राहक सेवा केन्द्र से एक साथ मोटर साइकिल पर बैठ कर जाने लगे तो रास्ते में हम लोग मौका पाकर रविन्द्र वर्मा की पत्नी के हाथ से छीन कर भाग गये और छिप गये थे। आज हम चारो लोग लूटे हुए रुपयो को आपस में बाटने के लिये एकत्र हुए थे कि आप लोग पकड़ लिये। शेष रुपया विकाश कुमार पुत्र राजेश निवासी ग्राम रसडा दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी लेकर कही भाग गया है। जामातलाशी में अभियुक्तो से मौके पर लूट के 66,000 रुपये बरामद हुए। शेष रुपये की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम समीर कुमार सक्सेना उर्फ अनुज कुमार पिता का नाम रामदुलार राम निवासी ग्राम बन्थरी दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी उम्र 18 वर्ष बताया और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम शिवम नाविक पुत्र ज्ञानेश नाविक निवासी ग्राम दुल्लापुर दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी उम्र 18 वर्ष बताया पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तों ने प्रथम अभियुक्त राणा प्रताप गौड के द्वारा बतायी गयि बातों का समर्थन किया।

मौके पर हीरो-होण्डा स्पेलेण्डर प्लस विना नम्बर प्लेट बरामद हुई जिसके चेचिस नं0 से चेक किया गया तो नम्बर UP 65 AY 6498 मिला। ब्लैक कलर की पल्सर मोटर साइकिल UP 65 EP 2381 बरामद भी मौके पर बरामद हुई, जिसके कागजात नही दिखा सकने पर कब्जा पुलिस में लिया गया।

अभियुक्तो को उनके जुर्म धारा 392/411 भादवि का अपराध कारण गिरफ्तारी बताकर मौके पर समय 06.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया । दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यालय व राष्टीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया एवं विधिनुसार कार्यवाही की गयी।

<u>अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. राणा प्रताप गौड उर्फ शुभम पुत्र विनोद गौड निवासी ग्राम कछिया थाना सिंधोरा वाराणसी उम्र 22 वर्ष।
2. समीर कुमार सक्सेना उर्फ अनुज कुमार पिता का नाम रामदुलार राम निवासी ग्राम बन्थरी दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 18 वर्ष।
3. शिवम नाविक पुत्र ज्ञानेश नाविक निवासी ग्राम दुल्लापुर दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 18 वर्ष।

<u>अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त राणा प्रताप गौड़ उर्फ शुभम ने पूछताछ में बताया कि मेरे गाँव के रविन्द्र प्रसाद वर्मा तथा उसकी पत्नी झंझौर बाजार मे ग्राहक सेवा केन्द्र चलाते है। जो प्रतिदिन शाम को 06.00 बजे दोनो लोग बाइक से ग्राम खरगपुर के रास्ते से घर आते है। और साथ मे बैग में सारा रुपया रखे रहते हैं। रुपये लूटने की नियत से मैने अपने साथी समीर उर्फ अनुज कुमार, शिवम नाविक, विकाश कुमार हम चारो लोग घटना के दिन रविन्द्र प्रसाद वर्मा व उसकी पत्नी जब शाम के समय ग्राहक सेवा केन्द्र से एक साथ मोटर साइकिल पर बैठ कर जाने लगे रुपये से भरा

हुआ बैग उसकी पत्नी लेकर पिछे बैठी थी। हम लोग मौका पाकर रविन्द्र वर्मा की पत्नी के हाथ से बैग विकाश छीन कर भाग गये और छिप गये थे। आज हम चारो लोग लूटे हुए रुपयो को आपस में बाटने के लिये एकत्र हुए थे कि आप लोग पकड़ लिये। शेष रुपया व अन्य सामान विकाश कुमार पुत्र राजेश निवासी ग्राम रसडा दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी लेकर कही भाग गया है।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

1. 0037/2023 धारा 392/411 भादवि थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।

अभियुक्त का पूर्व का अपराधिक इतिहास –

1- समीर कुमार सक्सेना उर्फ अनुज कुमार उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 0206/2022 धारा 3/9/25 आयुध अधिनियम, थाना चोलापुर, कमि0 वाराणसी।

2- शिवम नाविक उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 381/2022 धारा 354, 354ग आईपीसी थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

बरामदगी एवं बरामदगी का स्थल, दिनांक व समय

ग्राम करेमुआ के पास एक नवनिर्मित मकान के पास, थाना सिन्धोरा, कमिश्नरेट वाराणसी दिनांक 02.03.2023 समय 06.30 बजे।

थाना सिन्धोरा पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री बरदानी लाल थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 रणजीत सिंह, थाना सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी।
3. हे0का0 ज्ञानेश्वरमणि त्रिपाठी, थाना सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी।
4. उ0नि0 अजीत कुमार मिश्रा, थाना सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी।
5. उ0नि0 अमित कुमार यादव, थाना सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी।
6. उ0नि0 आशीष श्रीवास्तव, थाना सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी।
7. का0 बबलू गिरि, थाना सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी।
8. का0 विशाल कुमार, थाना सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी।

एस.ओ.जी. / सर्विलान्स टीम –

1. उ0नि0 श्री मनीष मिश्रा, कमिश्नरेट, वाराणसी।
2. हे0का0 विजय शंकर राय, कमिश्नरेट, वाराणसी।
3. का0 पवन तिवारी, कमिश्नरेट, वाराणसी।
4. का0 रमाशंकर यादव, कमिश्नरेट, वाराणसी।
5. का0 अविनाश शर्मा, कमिश्नरेट, वाराणसी।

(प्रेम नारायण विश्वकर्मा)
प्रभारी निरीक्षक
थाना-सिन्धोरा, कमि0 वाराणसी